UPKU040281022026

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान– पडरौना।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–3449/2026
सरकार–बनाम–पुरेन्दर।
फौजदारी वाद संख्या–20298/2025,
मुकदमा अपराध संख्या–343/2022,
धारा–323, 427, 504, 506 भा०दं०सं०,
थाना–नेबुआ नौरंगिया, जनपद–कुशीनगर।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

11.08.2026

आवेदक/अभियुक्त–**पुरेन्दर** की ओर से फौजदारी वाद संख्या–20298/2025, मुकदमा अपराध संख्या–343/2022, धारा–323, 427, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना–नेबुआ नौरंगिया, जनपद–कुशीनगर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थी जमानत मुचलका देने को तैयार है और अन्त में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया। प्रस्तुत मामले का आरोप–पत्र प्राप्त है। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामला सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। उपरोक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय है। अभियुक्त जमानत मुचलका देने को तैयार है। अत: मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त–**पुरेन्दर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व एक प्रतिभू समान धनराशि का दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–11.08.2026

(प्रभारी अधिकारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुशीनगर स्थान पडरौना।